Irregularities in the Modernisation Programmes

1697. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether any demand for setting up a high-level technical committee to investigate into the irregularities in all modernisation programmes has been made; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STEEL & MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के संबंध में सलाहकार समिति

1698. **श्री सुशील बरोंगपा:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए कोई सलाहकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी समिति का गठन न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किए बिना ही इस समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए अक्टूबर, 1993 में एक सलाहकार समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपना कार्य पूरा नहीं किया और अब यह विद्यामान नहीं है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन में संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श की अपेक्षा की गई है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में विभिन्न समुदायों को शामिल करने संबंधी दावों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है।

Awarding of "O Unit" of 250 MW to an NRI by NLC)

1699. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "O Unit" of 250 MW was awarded by NLC in favour of NRI:

(b) if so, the details of the proposal with justification for handing over such a cost effective project on the most favourable terms to NRI without proven track record and financial back-up and without compliance with the set procedure;

(c) whether it is a fact that in spite of the liberal terms, the project has hardly made any progress while the NLC is proposing to undertake another power project;

(d) if so, whether Government would institute an enquiry into the deal; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) Government of India approved the transfer of the Zero Unit Project to M/s. ST Power Systems in the year 1992 keeping in mind the policies and procedures as well as the acute resource crunch being faced by Neyveli Lignite Corporation (NLC) at that point of time. All aspects of the proposal were considered at various levels and was approved by the competent authorities.

(c) Fuel supply and Power Purchase/ Guarantee Agreements are under discussion and negotiation. Further progress on this project is dependent on the outcome of these. It is true that NLC has underta-

ken a Power Station Expansion Project as per its own plans drawn up much earlier.

(d) and (e) The decision to transfer the Zero Unit was taken keeping in view the Government policies and the available resources at that time. The decision, being bonafide, does not warrant any enquiry.

Recommendations of BIFR on closure of PSUs

1700. Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the BIFR has recommended closure of some PSUs;

(b) if so, the number of PSUs closed down during the last three years following the recommendation of BIFR;

(c) the number of employees affected due to the closure of those PSUs;

(d) the steps taken to give adequate compensation to the employees of those PSUs; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) As on date no Central PSU has been closed.

(c) to (e) Do not arise.

विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के पंजीकृत लोग

1701. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अक्तूबर, 1996 की स्थितिनुसार देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के कितने लोग पंजीकृत किए गये;

(ख) गत दो वर्षों, अर्थात् 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकारी सेवाओं में इस रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया और उनकी अर्हताएं क्या थी; और

(ग) इन व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 30 जून, 1995 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं उनमें सभी बेरोजगार हो, क्रमशः 50.43 तथा 14.03 लाख थी। अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित सूचना नहीं रखी गई है।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराये गए रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(हजार में)

सार्वजनिक क्षेत्र में की गई नियुक्तियों की संख्या

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1994	27.2	14.1
1995 (जनवरी-जून)	11.9	9.1

योग्यता - वार वर्ष 1992 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान की गई नियुक्तियों, संलग्न विवरणी में दी गई हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार है तथा रोजगार कार्यालय आरक्षण श्रेणी की रिक्तियों को भरने हेतु नियोक्ताओं की मांग के अनुसार ही सूची भेजते हैं।